

यालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जगदीश प्रसाद

बनाम

नानूदास

मुकदमा

T.I

मु. नं०

११४

वर्ष २०११

दिनांक

आज्ञा पत्र

४^२/_२

पत्रावली के अन्तर्गत कति. उपखण्ड (उ०)
 गंदा कक्षा पर कानून किया गया कि
 पत्रावली पर उपखण्ड ६ एनकेओ के
 अन्तर्गत किया गया कक्षा प्रमाणित कठिनाई
 पर उपखण्ड कठिनाई नहीं। प्रमाणित पत्रावली
 के लिए निर्दिष्ट हैं कि प्रमाणित कठिनाई के अन्तर्गत
 रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट कठिनाई कति पर
 प्रमाणित के लिए प्रमाणित हो लगे हैं कि प्रमाणित
 रिपोर्ट कठिनाई पर कति के अन्तर्गत
 लगे हैं के आधार पर किया जाता है। रिपोर्ट
 पर उपखण्ड कठिनाई के अन्तर्गत रिपोर्ट की स्थिति
 कठिनाई के अन्तर्गत कति पर ६। कति पर
 किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रमाणित
 प्रमाणित के अन्तर्गत किया जाता है तथा
 कति पर किया कि यदि कठिनाई विधेयता
 से कठिनाई का अन्तर्गत किया जाता है कि पर
 विधेयता कति के अन्तर्गत २२२, २२३, २२४,
 २३०, २३१, २३२ व २३३ कठिनाई के
 अन्तर्गत ५-२९ एंक्ट के अन्तर्गत
 न्यायोचित कठिनाई सीकर के अन्तर्गत
 रिपोर्ट के अन्तर्गत कति पर कति पर
 प्रमाणित के अन्तर्गत प्रमाणित के अन्तर्गत
 है। रिपोर्ट कति पर। निर्माण कति पर
 कति पर कति पर कति पर

उपखण्ड अधिकारी
 सीकर (राज.)